न्यायालय सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी।
सत्र परीक्षण संख्या– 34 / 2014
सरकार बनाम पंकज शुक्ला आदि

<u>दिनांक– 29.08.2017</u>

आज पेश हुआ। अभियुक्त पंकज शुक्ला उपस्थित है। अभियुक्ता कविता पाठक की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया जो केवल आज के लिये स्वीकृत। पत्रावली पर रखा जाये। जमानती वारन्ट जारी किये जाने के पश्चात भी राज्य के विद्वान अधिवक्ता व सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा साक्षी को तामीला कराये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। राज्य के प्रति पुलिस का रवैया उचित नहीं है। थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.09.2017 को हर स्थिति में साक्षी को उपस्थित करावें या स्वंय उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि उनके द्वारा किस संलिप्तता के कारण साक्षी प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष के सम्बन्ध में पैरोकार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को अवगत करावें। ऐसा करने में त्रुटि न करें। कृत कार्यवाही से न्यायालय को भी नियत दिनांक को अवगत करावें। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नियत दिनांका 20.09.2017 को शेष साक्ष्य हेतु पेश हो।

सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।